भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *38
जिसका उत्तर बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**न्यायपालिका में नियुक्तियां**

***38 श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायपालिका पर न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में महीनों का नहीं बल्कि वर्षों का विलंब करने का आरोप लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक न्यायालय में सभी रिक्तियां समयबद्ध तरीके से भरने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार न्यायिक नियुक्तियों हेतु नये प्रक्रिया ज्ञापन (एनओपी) को अंतिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की नई नियुक्तियों को रोके बिना न्यायिक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को तेज कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**'न्यायपालिका में नियुक्तियां' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *38 जिसका उत्तर तारीख 12 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

**(क) और (ख) :** जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने नियुक्तियों में विलंब के लिए न्यायपालिका को आरोपित किया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यकापलिका और न्यायपालिका के मध्य समन्वयकारी और एकीकृत प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की रिक्ति भरने का प्रस्ताव रिक्तियां उद्भूत होने से छः मास पूर्व प्रारंभ करना अपेक्षित होता है परंतु इस समय सीमा का विरले ही अनुपालन किया जाता है। राय की भिन्नता, यदि कोई है, का कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा आपसी सहमति से समाधान किया जाता है जिससे केवल समुपयुक्त व्यक्ति ही न्यायाधीश के उच्च संवैधानिक पद पर नियुक्त हो, सुनिश्चित किया जा सके। जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से और समयबद्ध रीति में भरे जाने का प्रत्येक प्रयास किया जाता है, परंतु उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या न्यायाधीशों की प्रोन्नति और न्यायाधीशों के पदों में बढ़ोत्तरी के कारण उद्भूत होती रहती हैं।

संवैधानिक कार्यढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की है।

**(ग) :** विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुपूरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगने वाला था इसलिए सरकार की पहल पर नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां विद्यमान ज्ञापन प्रक्रिया के अनुसार की जा रही हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई नियुक्तियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:--

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों की स्थिति (01.12.2018 को)

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| उच्चतम न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश | 04 | 05 | 08 |
| मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति | 14 | 08 | 25 |
| उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीश | *126 | 115 | 108 |
| उच्च न्यायालयों में स्थायी किए गए अतिरिक्त न्यायधीश | *131 | 31 | 115 |
| अतिरिक्त न्यायाधीशों को दी गई नई पदावधि | 22 | 05 | 02 |

[*किसी दिए गए वर्ष में उच्चतम]

**********